न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र/73/2017

सत्येन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति जाट निवासी नगला इन्दू (पैघोर) तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार (सहायक भू अभिलेख अधिकारी) कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 128 एवं 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम एवं नियम 399 राज0 भू अभिलेख नियम 1957

उपस्थित :–

1–श्री महाराजसिंह डागुर अभिभाषक प्रार्थी
2– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 22.12.2021**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,128 एवं 136 राज0भू राजस्व अधिनियम एवं नियम 399 राज0भू अभिलेख नियम 1957 के पेश किया गया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1496/0.11 गैर मुमकिन खेडा स्थित ग्राम इन्दु तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर की सीमाओ को दर्शाते हुये अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य में होना अवगत कराया गया है। उक्त रकबा का क्षेत्रफल लगभग 9 ऐयर होता है जिस पर पशु चिकित्सालय, पशुआ के अडगडा बने तथा दो पक्की दुकाने बनी हुई है तथा हैडपम्प व ईट बजरी पडी हुई है। भूखण्ड चारो ओर से तारकसी हो रही है। एक कच्चा मकान करीब 50–55 वर्ष पुराना बना हुआ है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत कूँम्हां ने नियम 157 राज0पंचायती राज अधिनियम नियम 1996 के तहत विनियमितिकरण किया जाकर आवेदक को मालिकाना हक का पट्टा दिनांक 20.12.2004 को जारी किया है और मकान निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की है। राजस्व अभिलेख में यह भूखण्ड खसरा नम्बर 1496/0.11 गैर मुमकिन आवादी अंकित है। तहसीलदार कुम्हेर के द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही आबादी मानते हुई खारिज की गई है, इसलिए विवादित भूखण्ड 1496 मिन/0.9 जो कि राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर प्रार्थी की मिल्कीयत व आबादी दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विवादित भूखण्ड से प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य से इंकार करते हुए धमकी बेदखली देने पर प्रार्थी ने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया जो कि दिनांक

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

27.07.2012 को प्रार्थी के हक में डिक्री किया कि "विवादित भूखण्ड में प्रतिवादीगण कोई तोड फोड नही करे तथा वादी के उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करे" इस प्रकार न्यायालय द्वारा भी विवादित भूखण्ड खसरा नम्बर 1496/0.11 का भाग व आबादी भूखण्ड मानी जाकर प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का माना जा चुका है। हाल के खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070 में इस खसरा नम्बर 1496 का क्षेत्रफल 0.02 लिखकर खाना न0 5 में सिवायचक निवास स्थाई व बस्तियां के इन्द्राज तहसीलदार द्वारा किये जा रहे है, शेष 9 ऐयर रकबा जो कि प्रार्थी के स्वामित्व है उसके सबंध में कोई आदेश नही दिये गये है। संभवतया यह रकबा आवेदक आबादी में अंकित कर दिया है। उक्त समस्त कार्यवाही गौण है, भूखण्ड आबादी को प्रार्थी के हक में दर्ज करते हुये गांव की आबादी सम्मिलित करने पर कोई आदेश सक्षम भू अभिलेख अधिकारी द्वारा नही दिया गया है, इसलिए शुद्वीकरण के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1496/0.11 के 9 ऐयर भूभाग को प्रार्थी की मिल्कीयत आबादी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाकर इस क्षेत्रफल भूभाग राजस्व अभिलेख से हटाये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी व रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षकारान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 1496/0.11 गैर मुमकिन खेडा स्थित ग्राम इन्दु तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर की सीमाओ को दर्शाते हुये अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य में होना व रकबा का क्षेत्रफल लगभग 9 ऐयर होता है जिस पर पशु चिकित्सालय, पशुआ के अडगडा बने तथा दो पक्की दुकाने बनी हुई है तथा हैडपम्प व ईट बजरी पडी हुई है। भूखण्ड चारो ओर से तारकसी हो रही है। एक कच्चा मकान करीब 50–55 वर्ष पुराना बना हुआ है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत कूम्हां ने नियम 157 राज0पंचायती राज अधिनियम नियम 1996 के तहत विनियमितिकरण किया जाकर आवेदक को मालिकाना हक का पट्टा दिनांक 20.12.2004 को जारी किया है और मकान निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की है। राजस्व अभिलेख में यह भूखण्ड खसरा नम्बर 1496/0.11 गैर मुमकिन आबादी अंकित है। तहसीलदार कुम्हेर के द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही आबादी मानते हुई खारिज की गई है, इसलिए विवादित भूखण्ड 1496मिन/0.9 जो कि राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर प्रार्थी की मिल्कीयत व आबादी दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विवादित भूखण्ड से प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य से इंकार करते हुए धमकी बेदखली देने पर प्रार्थी ने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया जो कि दिनांक 27.07.2012 को प्रार्थी के पक्ष में निर्णय व डिक्री किया है कि विवादित भूखण्ड में प्रतिवादीगण कोई तोड फोड नही करे तथा वादी के उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार न्यायालय द्वारा भी विवादित भूखण्ड खसरा नम्बर 1496/0.11 का भाग व आबादी भूखण्ड मानी जाकर प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का माना जा चुका है। हाल के

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070 में इस खसरा नम्बर 1496 का क्षेत्रफल 0.02 लिखकर खाना न0 5 में सिवायचक निवास स्थाई व बस्तियां के इन्द्राज तहसीलदार द्वारा किये जा रहे है, शेष 9 ऐयर रकबा जो कि प्रार्थी के स्वामित्व है उसके सबंध में कोई आदेश नही दिये गये है। संभवतया यह रकबा आवेदक आबादी में अंकित कर दिया है। अंत में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1496/0.11 के 9 ऐयर भूभाग को प्रार्थी की मिल्कीयत आबादी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाकर इस क्षेत्रफल भूभाग राजस्व अभिलेख से हटाये जाने का निवेदन किया है।

योग्य पैरोकार सरकार ने तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त रिपोर्ट के सबंध में कथन किया है कि ग्राम इन्दू तहसील कुम्हेर की जमाबंदी सम्वत् 2074–77 हाल खसरा नम्बर 1496/0.02,1497/0.10 किस्म गै0मु0 खेडा खाता संख्या 1 निवास स्थान एवं बस्तियां में दर्ज रिकार्ड है। जिसकी नाप उत्तर मे 120 फीट उस तरफ खेत थानसिंह जाट, पूर्व 75 फीट उस तरफ आम रास्ता, पश्चिम 75 फीट उस तरफ खेत दलवीर व पूरन का है। उक्त खसरा नम्बरान में दो पक्की दुकान, दुकानों में पशुओं की औषधि एक हैडपम्प, पशुओं की पानी पीने की टंकी, बीमार पशुआ हेतु अखाडा, रोडा बजरी आदि डाल रखे है। ग्राम पंचायत कूम्हां द्वारा आवेदक ने दिनांक 20.12.2004 में एक पटटा जारी करा रखा है जिसमें मकान निर्माण की स्वीकृति ली हुई है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 1496/0.02, 1497/0.09 गै0मु0 खेडा जो कि खाता संख्या 1 में निवास स्थान एवं बस्तियां में अंकित है जो कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। खसरा नम्बरान के सबंध में एक डिक्री अपने पक्ष में कराई हुई है। खसरा नम्बर 1496/0.02, 1497/0.10 किता 2 रकबा 0.12 दोनों खसरा नम्बर वर्तमान में गै0मु0 खेडा सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जिन पर मौके पर प्रार्थी का कब्जा किया हुआ है। खसरा नम्बर 1496/0.02, 1497/0.10 की किस्म गै0मु0 खेडा सिवायचक बिना लगानी दर्ज रिकार्ड है जिसे परिवर्तन करना सम्भव नही है। प्रकरण लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 166 का नही है। अंत में पैरोकार सरकार ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व रिकार्ड एवं तहसीलदार कुम्हेर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नक्शा ब्लू प्रिन्ट, नक्शा ट्रेस, नकल हाल जमाबंदी, जमाबंदी सम्वत् 2066–69, जमाबंदी सम्वत् 2054 से 57, जमाबंदी सम्वत् 2070–73, सिविल न्यायाधीश कुम्हेर की निर्णय व डिक्री की प्रति तथा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश व0ख भरतपुर के निर्णय की प्रति पेश की है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 1496/0.02, 1497/0.09 गै0मु0 खेडा जो कि खाता संख्या 1 में निवास स्थान एवं बस्तियां अंकित है। खाता संख्या 01 में अंकित भूमियां राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1496/0.11 के शेष 9 ऐयर भूभाग को आबादी दर्ज

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

कराना चाहता है किन्तु खसरा नम्बर 1496 का रकबा मात्र 0.02 है0 का ही है जो कि पूर्व से ही गै0मु0 खेडा राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड है। राजकीय भूमि होने के कारण उसकी किस्म या प्रकृति को चैलेन्ज नही किया जा सकता है। जिसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही पाते है इस कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार के रिलीफ पाने का हकदार नही है। अस्तु प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 88,128 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम एवं नियम 399 राज0भू अभिलेख नियम 1957 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर